न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –200/2024
GCMS No. –2024/668

1. कंकु बाई पुत्री हरिरामजी पत्नि रामलालजी जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

–वादीया

बनाम

1. गोपीलाल गोदीपुत्र हरिराम जाईन्दा पुत्र प्रताप जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. केशर बेवा हरिराम जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. उपपंजीयक अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता वादी
2– श्री योगेन्द्र सौलंकी – प्रतिवादी संख्या 1

:: निर्णय ::

दिनांक :– 14.01.2025

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व, आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वाके मौजा कारुण्डा पटवार हल्का कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 64 के आराजी नं० 26 रकबा 2.2600 हैक्टेयर, लगानी 42 रुपये 94 पैसा, आराजी नं0 27 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, लगानी 3 रुपये 61 पैसा, कुल किता 2 कुल रकबा 2.4500 हेक्टेयर कुल लगानी 46 रुपये 55 पैसा भूमि स्थित हैं।इसी प्रकार वाके मौजा कारुण्डा पटवार हल्का कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 281 के आराजी नं0 25 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, गे०मु०चाह स्थित हैं।

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

2. वादग्रस्त पुश्तैनी पैतृक आराजियात वादीया व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की चली आ रही है [illegible] आराजियात वादीया के पिता हरिराम पिता कृष्णाजी जाट निवासी कारुण्डा [illegible] जमाने से चली आ रही है हरिरामजी के वैध उत्तराधिकारी वादीया [illegible] जाईन्दा पुत्री व प्रतिवादी नं० 1 गोपीलाल गोदी पुत्र व प्रतिवादी नं0 2 केशरबाई उनकी बेवा [illegible] वादग्रस्त आराजियात एवं दिगर आराजी नं० 417, 418 व 804 को मिलाते हुवे वादीया एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सयहमति से हिस्से अलग अलग कर लिये थे तथा वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:43 IST
Reason: SelfAttested

पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजियात वादीया व प्रतिवादी नं0 1 गोपीलाल के हिस्से मे रखी थी, तथा प्रतिवादी नं0 2 के हिस्से मे दिगर आराजी नं0 417व 418 व 804 रखी थी, तथा प्रतिवादी नं0 2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से आ0नं0 417 व 418 नाथुलाल पिता चम्पालाजल जाट को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया, तथा आराजी नं0 804 जो मैससे वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा खनन कार्य हेतु अवाप्ती मेचली गई जिसका मुआवजा प्रतिवादी नं0 2 द्वारा प्राप्त किया गया

3. वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी नं0 2 का कोई हक हिस्सा व कब्जा नही रखा, इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात मे प्रतिवादी नं0 2 का कोई हक हिस्सा नही है वादीया ने प्रतिवादीगणो को खाता संख्या 64 की आराजियात में वादीया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं० 1 का 1/2 हिस्सा, तथा खाता संख्या 281 की आराजियात में वादीया का 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हक हिस्सा घौषित कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है और वादीया के नाम घौषित कराने से इंकार हो गये हैं, तथा वादीया व गांव के मौतबीर व्यक्तियों व रिश्तेदारो द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने बुझाने पर भी प्रतिवादीगण किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वादीया खाता संख्या 64 की आराजियात में वादीया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा, तथा खाता संख्या 281 की आराजियात में वादीया का 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादी नं० 1 का 1/4 हक हिस्सा घौषित कराने की अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी नं0 2 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कराने की अधिकारीणी हैं।

4. वादग्रस्त पुश्तैनी पैतृक आराजियात वादीया व प्रतिवादी नं० 1 के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की चली आ रही हैं तथा वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी नं0 2 का कोई हक हिस्सा व कब्जा नही रखा, तथा प्रतिवादी नं0 2 को उक्त भूमि के बदले में अन्य आराजियात हिस्से मे रखी थी जो प्रतिवादी नं० 2 द्वारा विक्रय कर दी है तथा उक्त भूमि में कोई हकहिस्सा नही रखा हैं। वाद ग्रस्तआराजियात में प्रतिवादी नं0 2 का नाम सहवन से दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादी नं0 2 दिगर प्रतिवादीगणो से मिलकर वादीया को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन महरुम करने की नियत से वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करने पर आमादा हो रही है, तथा राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन करने पर आमादा है तथा वादीया को उसके हक हिस्से व कब्जे काश्त की आराजियात से जबरन बेदखल करने पर आमादा है व मौके की स्थिति में भारी परिवर्तन करने पर आमादा हैं तथा प्रतिवादीगण वादीया को वादग्रस्त आराजियात की हकाई जुताई, फसल बुवाई, फसल काटने से जाने में जबरन बाधा पैदा कर रहे है तथा वादीया एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने बुझाने पर भी प्रतिवादीगण किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नही है। इसलिए वादीया प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचालित कराने की अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

5. वाद कारण दिनांक 22/09/2024 को जब वादीया ने प्रतिवादीगणो को वादीया के हक हिस्से की भूमि वादीया के नमा घौषित करा प्रतिवादी नं0 2 का नाम

राजस्व रेकार्ड से विलोपिता कराने की कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल करने लगे व घौषणा कराने से इंकार हो गये व वादग्रस्त आराजियात को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करने की धमकी दी व वादीया को जबरन बेदखल करने की धमकिया दी व समझाने बुझाने पर नही माने से हर रोज उत्पन्न होकर यह दावा अंदर अवधी पेश हैं।यह कि यह घोषित किया जावे की वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात वादीया व प्रतिवादी नं0 1 की संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजीति होकर वादग्रस्त खाता संख्या 64 की आराजियात में वादीया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा, तथा खाता संख्या 281 की आराजियात में वादीया का 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हक हिस्सा घौषित कराने की अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी नं0 2 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कराने की अधिकारीणी हैं।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजुद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सौलंकी ने वकालतनामना मय ईकबाली जवाबदावा पेश किया। वकील उभयपक्ष ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को गांव मौतबीर पंचो व रिश्तेदारो की समझाईष से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस मे राजीनामा हो गया है और राजीनामा अनुसार वाके मौजा कारुण्डा पटवार हल्का कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 64 के आराजी नं० 26 रकबा 2.2600 हैक्टेयर, लगानी 42 रुपये 94 पैसा, आराजी नं0 27 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, लगानी 3 रुपये 61 पैसा, कुल किता 2 कुल रकबा 2.4500 हेक्टेयर कुल लगानी 46 रुपये 55 पैसा भूमि स्थित हैं।इसी प्रकार वाके मौजा कारुण्डा पटवार हल्का कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 281 के आराजी नं0 25 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, गे०मु०चाह स्थित हैं। आराजियात वादीया व प्रतिवादी नं0 1 की संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजीति होकर वादग्रस्त खाता संख्या 64 की आराजियात में वादीया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा, तथा खाता संख्या 281 की आराजियात में वादीया का 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हक हिस्सा घौषित कराने की अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी नं0 2 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कराने की अधिकारीणी हैं।वादग्रस्त पुश्तैनी पैतृक आराजियात वादीया व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की चली आ रही हैं तथा वादग्रस्त आराजियात एवं दिगर आराजी नं0 417, 418 व 804 को मिलाते हुवे वादीया एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से हिस्से अलग अलग कर लिये थे तथा वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजियात वादीया व प्रतिवादी नं० 1 गोपीलाल के हिस्से मे रखी थी, तथा प्रतिवादी नं0 2 के हिस्से मे दिगर आराजी नं0 417, 418 व 804 रखी थी, तथा प्रतिवादी नं0 2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि आ0नं0 417 व 418 नाथुलाल पिता चम्पालाजल जाट को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया, तथा आराजी नं0 804 जो मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा खनन कार्य हेतु अवाप्ती मे चली गई जिसका मुआवजा प्रतिवादी नं0 2 द्वारा प्राप्त किया गया, तथा वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी नं0 2 का कोई हक हिस्सा व कब्जा नही रखा, इसलिए वादग्रस्त खाता संख्या 64 की आराजियात में वादीया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:51:43 IST
Reason: SelfAttested

नं0 1 का 1/2 हिस्सा, तथा खाता संख्या 281 की आराजियात में वादीया का 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादी नं० 1 का 1/4 हक हिस्सा घौषित किया जावें तथा प्रतिवादी नं0 2 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जावें हैं।

7. साक्ष्य वादी में पीडब्लू 1 कंकूबाई, पीडब्लू 2 गिरधारीलाल, डिडब्लू 1 गोपीलाल के बयान कराये गये । वादिया द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श:1, प्रदर्श: 2, प्रदर्श: 3, प्रदर्श: 5 नकल जमाबन्दी सम्वत 2077–80, नकल नामान्तरकरण संख्या 602 प्रदर्श:4, पुरानी जमाबन्दी सम्वत 2046–49 प्रदर्श:6 तथा विक्रय पत्र की सत्य प्रतिलिपी प्रदर्श:7 पेश की गई।

8. बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई । मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। वादी व प्रतिवादी गण ने राजीनामा पेश किया जिसे तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। वाद वादी राजीनामे अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

घोषणा है कि

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादीया का वाद राजीनामे अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की वाके मौजा कारुण्डा पटवार हल्का कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा की आराजी नं० 26 रकबा 2.2600 हैक्टेयर, आराजी नं0 27 रकबा 0.1900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.4500 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी नं0 2 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाकर वादीया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा, तथा खाता संख्या 281 की आराजी नम्बर 25 रकबा 0.0500 हैक्टेयर गे0मू0चाह आराजियात में वादीया का 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाता है।इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। बैंक रहन बदस्तुर रखा जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:43 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –200/2024
GCMS No. –2024/668

1. कंकु बाई पुत्री हरिरामजी पत्नि रामलालजी जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

–वादीया

बनाम

1. गोपीलाल गोदीपुत्र हरिराम जाईन्दा पुत्र प्रताप जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. केशर बेवा हरिराम जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. उपपंजीयक अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक :– 14.01.2025

प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सौलंकी की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादीया का वाद राजीनामे अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की वाके मौजा कारुण्डा पटवार हल्का कारुण्डा तहसील निम्बाहेडा की आराजी नं० 26 रकबा 2.2600 हैक्टेयर, आराजी नं0 27 रकबा 0.1900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.4500 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी नं0 2 केशर पत्नि हरिराम जाट निवासी कारुण्डा का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाकर वादीया का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा, तथा खाता संख्या 281 की आराजी नम्बर 25 रकबा 0.0500 हैक्टेयर गे0मू0चाह आराजियात में वादीया का 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाता है।इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। बैंक रहन बदस्तुर रखा जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 14.01.2025 को लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:43 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेडा

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा